

प्रेषक,

अनिल कुमार बाजपेयी,
विशेष सचिव,
30प्र0 शासन।

सेवा में,

निदेशक,
नगरीय निकाय निदेशालय,
उत्तर प्रदेश।

नगर विकास अनुभाग-8

लखनऊ: दिनांक: 06 अप्रैल, 2018

विषय: वित्तीय वर्ष 2015-16 एवं 2016-17 में नागर स्थानीय निकायों को आदर्श नगर योजना के अन्तर्गत स्वीकृत धनराशि की उपयोगिता अवधि बढ़ाये जाने के संबंध में।

महोदय,

विभिन्न स्थानीय नागर निकायों को वित्तीय वर्ष 2015-16 एवं 2016-17 में अवस्थापना सुविधाओं के विकास हेतु आदर्श नगर योजना के अन्तर्गत स्वीकृत धनराशि की उपयोगिता अवधि बढ़ाये जाने हेतु विभिन्न नागर निकायों द्वारा किये गये अनुरोध के क्रम में मुझे यह कहने का निदेश हुआ है कि शासन स्तर पर सम्यक विचारोपरान्त निम्नलिखित 16 नागर निकायों को वित्तीय वर्ष 2015-16 एवं 2016-17 में आदर्श नगर योजना अन्तर्गत स्वीकृत धनराशि की उपयोगिता अवधि उनके नाम के सम्मुख कालम-6 में अंकित तिथि तक इस शर्त के अधीन बढ़ायी जाती है कि निकाय योजना का नियमित रूप से अनुश्रवण करेंगे एवं किसी भी दशा में उक्त दिनांक से आगे उपयोगिता अवधि नहीं बढ़ायी जायेगी। सम्बन्धित नागर निकाय द्वारा इस अवधि में प्रत्येक दशा में उनके नाम के सम्मुख अंकित शासनादेश द्वारा स्वीकृत किये गये कार्यों को पूर्ण करारकर धनराशि का नियमानुसार व्यय/उपभोग करते हुए उपयोगिता प्रमाण पत्र निर्धारित प्रपत्र पर शासन/निदेशक, नगरीय निकाय, 30 प्र0 लखनऊ को उपलब्ध कराया जाना सुनिश्चित किया जायेगा तथा स्वीकृत किये गये कार्यों में किसी भी प्रकार की दिरावृत्ति अनुमन्य नहीं होगी :-

| क्र. सं | जनपद का नाम | निकाय का नाम | आदर्श नगर योजना के अन्तर्गत वित्तीय स्वीकृत से सम्बन्धित शासनादेश संख्या एवं दिनांक | स्वीकृत धनराशि (रुपये लाख में) | स्वीकृत धनराशि का उपयोग किये जाने की तिथि |
|---------|-------------|----------------------|---|--------------------------------|---|
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
| 1 | महोवा | न.पा.प. घरखारी | 43/2016/627आ.न.यो./9-8-16-39आ.न.यो. (बजट)/2014 दिनांक 13.05.2016 | 80.00 | 30.06.2018 |
| 2 | रामपुर | न.पा.प. स्यार | 1230आ.न.यो./9-8-16-05आ.न.यो. (बजट)/ 2016 दिनांक 06.10.2016 | 528.780 | 30.06.2018 |
| 3 | बुलन्दशहर | न.पं. ककोड़ | 190/2015/1022आ.न.यो./9-8-15-39आ.न.यो. (बजट)/2014 दिनांक 03.06.2015 | 23.455 | 30.06.2018 |
| 4 | शाहजहांपुर | न.पा.प. जलालाबाद | 159/2016/1767आ.न.यो./9-8-2016-16आ.न.यो. (बजट)/ 2016 दिनांक 09.12.2016 | 08.00 | 30.06.2018 |
| 5 | देवरिया | न.पं. रामपुर कारखाना | 12/2016/248आ.न.यो./9-8-16-39आ.न.यो. (बजट)/2014 दिनांक 11.03.2016 | 25.38 | 30.06.2018 |
| 6 | बिजनौर | न.पं. बदापुर | 03/2017/1987आ.न.यो./9-8-16-30आ.न.यो. (बजट)/2016 दिनांक 03.01.2017 | 17.00 | 30.06.2018 |
| 7 | बिजनौर | न.पं. साहनपुर | 13/2017/99आ.न.यो./9-8-2017-39आ.न.यो. (बजट)/2014 दिनांक 03.03.2017 | 12.50 | 30.06.2018 |
| 8 | रायबरेली | न.पं. इलमऊ | 203/2015/902आ.न.यो./9-8-2015-13 आ.न.यो. (बजट) /15 दिनांक 08.7.2015 | 10.00 | 30.06.2018 |
| 9 | बिजनौर | न.पा.प. हल्दौर | 11/2016/232आ.न.यो./9-8-15-39आ.न.यो. (बजट)/2016 दिनांक 11.03.2016 | 70.00 | 30.06.2018 |
| 10 | मुरादाबाद | न.पं. काठ | 06/2017/1990आ.न.यो./9-8-2016-29आ.न.यो. (बजट)/2016 दिनांक 03.01.2017 | 249.50 | 30.06.2018 |

| | | | | | |
|----|-----------|-----------------------|---|--------|------------|
| 11 | कन्नाौज | न.पा.प. गुरसहायगंज | 159/2016/1767आ.न.यो./9-8-2016-16आ.न.यो.(बजट)/2016 दिनांक 09.12.2016 | 12.00 | 30.06.2018 |
| 12 | शाहजहापुर | न. पं. खुटार | 14/2016/348आ.न.यो./9-8-2016-39 आ.न.यो. (बजट)/ 2015 दिनांक 22.03.2016 | 81.815 | 30.06.2018 |
| 13 | सहारनपुर | न.पा.प. नकुड | 180/2015/396आ.न.यो./9-8-14-39आ.न.यो.(बजट)/2014 दिनांक 05.05.2015 | 98.62 | 30.06.2018 |
| 14 | इलाहाबाद | न.पं. फूलपुर | 153/2016/1576आ.न.यो./9-8-2016-12आ.न.यो.(बजट)/2016 दिनांक 28.10.2016 | 12.50 | 30.06.2018 |
| 15 | सहारनपुर | न.पा.प. सरसावा | 176/16/1292आ.न.यो./9-8-2016-05आ.न.यो.(बजट)/2016 दिनांक 30.12.2016 | 35.00 | 30.06.2018 |
| 16 | मुरादाबाद | न.पा.प. बिलारी | 222/2015/1558आ.न.यो./9-8-15-21आ.न.यो.(बजट)/2014 दिनांक 23.09.2015 | 374.00 | 30.06.2018 |

2. यह आदेश वित्त विभाग की सहमति से जारी किये जा रहे हैं।

अध्यक्ष
6/4/18
(अनिल कुमार बाजपेयी)
विशेष सचिव।

संख्या- 02 (1)आ.न.यो./9-8-18 तददिनांक।

उपरोक्त की प्रतिलिपि निम्नलिखित को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित:-

1. महालेखाकार, उत्तर प्रदेश इलाहाबाद।
2. सम्बन्धित मण्डलायुक्त, उत्तर प्रदेश।
3. सम्बन्धित जिलाधिकारी, उत्तर प्रदेश।
4. सम्बन्धित अध्यक्ष/अधिशासी अधिकारी, नगर पालिका परिषद/नगर पंचायत, उत्तर प्रदेश।
5. सचिव, नियोजन विभाग, उत्तर प्रदेश शासन।
6. निदेशक, स्थानीय निधि लेखा परीक्षा, उत्तर प्रदेश, इलाहाबाद।
7. वित्त (आय-व्ययक) अनुभाग-2, वित्त (व्यय-नियंत्रण) अनुभाग-8 एवं 9
8. गार्ड फाइल।

आज्ञा से
B
(वृजेन्द्र सिंह)
अनुसचिव।